

an>

Title: Need to make public the date of Socio-Economic and Caste Census 2011.

श्री गणेश सिंह (सतना): सामाजिक, आर्थिक तथा जातिगत जनगणना (एसईसीसी-2011) संबंधी प्रश्न की जांच करने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा दिनांक 09.11.2011 की अपनी टिप्पणी में मंत्रिमंडल का अनुमोदन मांगा गया था। यह भी प्रस्तावित था कि भारत के महापंजीयन तथा जनगणना आयुक्त के कार्यालय द्वारा फील्ड में आंकड़ें एकत्र करने के पश्चात् सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय तथा जनजातीय मंत्रालय द्वारा गठित एक विशेषज्ञ समूह को वर्गीकरण हेतु इन जातियों/जनजातियों का ब्यौरा दिया जाएगा। तत्कालीन सरकार ने 19 मई, 2011 को प्रस्ताव को अनुमोदित किया था कि विशेषज्ञ समूह के गठन से संबंधित निर्णय उपयुक्त समय पर लिया जाएगा। तत्कालीन सरकार ने इसे जान बूझकर ठंडे बस्ते में डाल दिया था।

वर्तमान सरकार ने 16 जुलाई, 2015 को सामाजिक, आर्थिक तथा जातिगत जनगणना की समीक्षा की थी। भारत के महापंजीयन तथा जनगणना आयुक्त ने 08 जून, 2016 को बताया कि जाति विवरण में 8 करोड़, 21 लाख, 66 हजार 550 गलतियां पायी गयी हैं, जिन्हें सुधार हेतु राज्यों को भेजा गया है। मध्य प्रदेश में 16 लाख 6 हजार गलतियां पायी गयी हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने यह भी बताया है कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के जातिवार जनगणना में भी गलतियां हुई हैं।

मेरे द्वारा लोक सभा के नियम 377 के तहत दिनांक 02.01.2018 को उठाये गये विषय के संबंध में ग्रामीण विकास राज्य मंत्री, भारत सरकार ने लिखित रूप से बताया है कि सामाजिक, आर्थिक तथा जातिगत जनगणना (एसईसीसी-2011) का ब्यौरा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय तथा जनजातीय मंत्रालय को सौंप दिया गया है ताकि जाति/जनजाति संबंधी ब्यौरों को वर्गीकृत किया जा सके।

एक तरफ ग्रामीण विकास मंत्रालय कह रहा है कि सामाजिक, आर्थिक तथा जातिगत जनगणना (एसईसीसी-2011) का ब्यौरा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय तथा जनजातीय मंत्रालय को अंतिम रूप से सौंप दिया गया है और दूसरी तरफ सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय कह रहा है कि आंकड़ें सही नहीं हैं।

सामाजिक, आर्थिक तथा जातिगत जनगणना (एसईसीसी-2011) के काम में निजी कंपनियों के कर्मचारी और गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) के कार्यकर्ता लगा दिए गए थे। नतीजा यह रहा कि जाति जनगणना के आंकड़ों में भयंकर गलतियां हुई हैं। सरकार से मेरी मांग है कि सामाजिक, आर्थिक तथा जातिगत जनगणना (एसईसीसी-2011) को जल्द से जल्द प्रकाशित करें और उन निजी कंपनियों, गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) और जिम्मेवार अधिकारियों की भी जांच कराई जाए जिन्होंने यू.पी.ए. सरकार के दौरान जाति जनगणना के आंकड़ों में जान बूझकर गलतियां की हैं और तथ्यों को छिपाया है।